MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Est. U\s provisions of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Telephone:
2551568
2767786

F-7, SanchiComplex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462016

कमांक एमपीएमसी/परिपत्र -4/06/1114-1258,   भोपाल, दिनांकः 25 मार्च, 2006.

प्रति,

UNDER POSTNIG OF CERTIFICATE

1. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश,
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश,
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश ।

विषयः **प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से फर्जी चिकित्सा व्यवसाय का उन्मूलन करने हेतु जिला स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सतत्रूप से किंये जाने के संबंध में ।**

विभिन्न सूचना माध्यमों, समय-समय पर प्राप्त शिकायतों एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न याचिकाओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसे अपात्र व्यक्ति ऐलोपैथिक चिकित्सक के रूप में चिकित्सा व्यवसाय/चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, जो कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति (Allopathic System of Medicine) में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु विधिनुसार प्राधिकृत नहीं हैं । ऐसे चिकित्सा व्यवसायियों को 'फर्जी चिकित्सक' (Quacks) कहा जाता है ।

2. **प्रदेश में कार्यशील फर्जी चिकित्सकों (Quacks) के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जिला स्तर से किया जाना आवश्यक हो गया है, किन्तु इस विषय में जिला स्तर पर समुचित विधिक प्रावधानों की जानकारी नहीं होने के कारण फर्जी चिकित्सा व्यवसायियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई है ।**

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Est. U\s provisions of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Telephone:
2551568
2767786

F-7, SanchiComplex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462016

3. इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट–1956 की धारा–15(2) में उल्लेखित उपबन्धों के अनुसार प्रदेश में केवल वही व्यक्ति ऐलोपेथिक चिकित्सा पद्धति (Allopathic System of Medicine) में चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है, जिसका नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा–11 के अंतर्गत संधारित "राज्य चिकित्सक रजिस्टर " (State Medical Register) में अंकित होकर वह व्यक्ति मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल द्वारा एक चिकित्सा व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो।

4. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा–24 के प्रावधानों के अनुसार :–

"यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अंकित नहीं है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करेगा तो वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा" :

परन्तु–

(एक) ऐसा व्यक्ति, जो बेचलर इन आयुर्वेदिक विथ मार्डन मेडिसिन एण्ड सर्जरी की उपाधि रखता हो और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो, विषम चिकित्सीय औषधियाँ (**Allopathic Medicines**) विहित करने या शल्य चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए, इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा यदि उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करता है ;

(दो) ऐसा चिकित्सा व्यवसायी, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम,1956(1956 की संख्या 102) की धारा–27 के विशेषाधिकारों

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Est. U\s provisions of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Telephone:
2551568
2767786

F-7, SanchiComplex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462016

का हकदार हो, मध्यप्रदेश में उसका रजिस्ट्रीकरण न होने के कारण इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा ।

प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु पात्रता के विषय में विधिक प्रावधानो की तथ्यात्मक जानकारी संक्षेप में आपके सूचनार्थ निम्नानुसार बिन्दुवार प्रेषित है :–

5. वर्तमान में प्रदेश में विधिक रूप से केवल तीन प्रकार की निम्नलिखित चिकित्सा पद्धतियां मान्य है –

{अ} एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति (Allopathic System of Medicine),

{ब} भारतीय चिकित्सा पद्धति {जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति सम्मिलित है} Indian System of Medicine,

{स} होमियोपैथी एवं बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति (Homoeopathy and Biochemic System of Medicine).

6. उपरोक्तानुसार उल्लेखित अ,ब,स तीनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त {पशु आयुर्विज्ञान एवं शल्य विज्ञान तथा दंत रोग चिकित्सा विज्ञान को छोड़कर} प्रदेश में वर्तमान में कोई भी अन्य चिकित्सा पद्धति यथा – (i) इलेक्ट्रोहोमियोपैथी (ii) अल्टरनेटिव–सिस्टम ऑफ मेडिसिन , (iii) इण्डो–ऐलोपैथी अथवा इण्डो–होमियोपैथी (iv) बेसिक मेडिकल प्रेक्टिशनर्स – आदि आदि विभिन्न नामों से प्रचलित चिकित्सा पद्धतियॉ विधिनुसार मान्य नहीं है ।

7. बिन्दु कमांक 5 में उल्लेखित– अ, ब, तथा स तीनों चिकित्सा पद्धतियॉ निम्नलिखित पृथक–पृथक केन्द्रीय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार संचालित एवम् नियन्त्रित होती हैं :–

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL
(Est. U\s provisions of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Telephone:
2551568
2767786

F-7, SanchiComplex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462016

{अ} ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति– इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट, 1956 .

{ब} भारतीय चिकित्सा पद्धति– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970.

{स} होमियोपैथी एवं बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति– होमियोपैथी सेन्ट्रल कौंसिल एक्ट,1973.

8. केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार पारित तीनों अधिनियमों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भी तीनों चिकित्सा पद्धतियों { अ, ब, स } के लिए पृथक से निम्नलिखित राज्य स्तरीय तीन अधिनियम पारित किये जाकर राज्य में चिकित्सा व्यवसाय हेतु लागू किये गये हैं :–

{अ} ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति हेतु – मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987.

{ब} भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु – मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसाय अधिनियम, 1970.

{स} होमियोपैथी एवम् बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति हेतु – मध्य प्रदेश होमियोपैथी परिषद अधिनियम, 1976.

9. उपरोक्तानुसार उल्लेखित राज्य स्तरीय तीनों अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में तीन चिकित्सा पंजीयन बोर्ड/परिषद् विधिवत् स्थापित की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है –

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Est. U\s provisions of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Telephone:
2551568
2767786

F-7, SanchiComplex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462016

क्र	चिकित्सा पद्धति का नाम	राज्य स्तरीय स्थापित चिकित्सा पंजीयन बोर्ड/परिषद् का नाम एवं कार्य स्थल
{अ}	ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति (Allopathic System of Medicine)	• **मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल** • कार्यालय रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल : भोपाल – एफ–7, सॉची काम्पलेक्स , शिवाजी नगर, भोपाल {म0 प्र0} 462 016. दूरभाष क0 2551568.
{ब}	भारतीय चिकित्सा पद्धति {आयुर्वेदिक, युनानी तथा प्राकृतिक चकित्सा पद्धति} (System of Indian Medicine)	• **मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक , यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा पंजीयन बोर्ड : भोपाल** • कार्यालय रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा पंजीयन बोर्ड, बेतवा अपार्टमेन्ट, पॉचवी मंजिल, रोशनपुरा नाका, भोपाल {म0 प्र0} 462 003. दूरभाष क0 2553731
{स}	होमियोपैथी एवं बायोकैमिक चिकित्सा पद्धति (System of Homoeopathy and Biochemic Medicine)	• **मध्य प्रदेश राज्य होमियोपैथी परिषद, भोपाल** • कार्यालय रजिस्ट्रार, राज्य होमियोपैथी परिषद्, प्लाट क्रमांक–73, जोन–2, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल {म0 प्र0} 462 016 . दूरभाष क0 2552629.

10. उपरोक्तानुसार बिन्दु कमांक 8 में उल्लेखित तीनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के राज्यस्तरीय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में चिकित्सा

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Est. U\s provisions of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Telephone: 2551568 2767786

F-7, SanchiComplex, Opp. Board Office, Bhopal (MP) 462016

व्यवसाय/चिकित्सा कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्य करने हेतु प्रत्येक चिकित्सा अर्हताधारी व्यक्ति को प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित तथा अपनी चिकित्सा अर्हता से संबंधित चिकित्सा पंजीयन बोर्ड/पंजीयन परिषद से पंजीकृत होना अनिवार्य है। और इस प्रकार पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी केवल अपनी पंजीकृत चिकित्सा अर्हताओं के अनुसार ही प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय/चिकित्सा कार्य करने हेतु विधिक रूप से प्राधिकृत (Authorised) है।

प्रदेश में कार्यशील फर्जी चिकित्सकों को उनके चिकित्सा व्यवसाय/चिकित्सा कार्य के आधार पर निम्नानुसार दो तरह से विभाजित किया जा सकता है :–

{अ} ऐसे चिकित्सा व्यवसायी, जो बिन्दु कमांक 7 एवं 8 में उल्लेखित तीनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों में से किसी भी चिकित्सा पद्धति की कोई मान्य चिकित्सा अर्हता धारण न करते हुवे एवं बिना विधिवत् पंजीकृत हुवे चिकित्सा व्यवसायी के रूप में चिकित्सा व्यवसाय कर रहें हैं ।

{ब} ऐसे चिकित्सा व्यवसायी, जो अपने द्वारा धारित मान्य चिकित्सा अर्हता तथा तत्संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार चिकित्सा व्यवसाय न कर अन्य चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं ।

प्रदेश में कार्यशील फर्जी चिकित्सा व्यवसायियों का उन्मूलन किये जाने हेतु एवं इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट, 1956 तथा मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय हेतु विधि अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही सततरूप से किया जाना आवश्यक है :–

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Est. U\s provisions of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Telephone:
2551568
2767786

F-7, SanchiComplex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462016

11. प्रदेश में समस्त चिकित्सा व्यवसायियों का सर्वेक्षण जिला स्तर से सततरूप से किया जाना होगा जिसमें सर्वेक्षण दल द्वारा प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी से इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुसार चिकित्सा व्यवसायी का विवरण (चिकित्सा व्यवसायी की चिकित्सा अर्हताए, चिकित्सा पंजीयन कमांक एवं चिकित्सा व्यवसाय की पद्धति आदि) लिया जाकर उसकी चिकित्सा व्यवसाय हेतु पात्रता संबंधी जाँच की जाना होगी ।

उपरोक्तानुसार वर्णित जिला स्तरीय सर्वे कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सक्षम अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर के एक–एक दल, जिसमें एक शासकीय ऐलोपैथिक चिकित्सक, एक शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं एक शासकीय होमियोपैथिक चिकित्सक को सम्मिलित किया जा सकता है, द्वारा यह सर्वेक्षण कार्य सतत् रूप से चलाया जाना उपयुक्त होगा।

इस प्रकार गठित प्रत्येक सर्वेक्षण दल को यह अधिकार होगा कि वह प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा धारित चिकित्सा अर्हताओं एवं चिकित्सा पंजीयन प्रमाण–पत्र का का अवलोकन व परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि संबंधित चिकित्सा व्यवसायी विधिक रूप से मान्य चिकित्सा अर्हताधारी होकर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित (धारित चिकित्सा अर्हताओं से संबंधित) चिकित्सा पंजीयन बोर्ड/परिषद से विधिवत पंजीकृत होकर अपने द्वारा धारित चिकित्सा अर्हताओं के अनुरूप चिकित्सा व्यवसाय करता है अथवा नहीं ।

चिकित्सा अर्हताओं एवम् पंजीयन संबंधी वैधता का आवश्यकतानुसार पुष्टिकरण इस परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 9 में उल्लेखित चिकित्सा पंजीयन बोर्ड/परिषद् से लिया जा सकता है । चिकित्सा व्यवसाय अवैध पाये जाने पर जिला स्तर से फर्जी चिकित्सा व्यवसायियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से संबंधित प्रकरण हेतु मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा–24 अथवा अन्य

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Est. U\s provisions of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Telephone:
2551568
2767786

F-7, SanchiComplex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462016

चिकित्सा पद्धतियों के लिए संबंधित राज्य स्तरीय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप की जा सकती है ।

अतः, **विषयान्तर्गत अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त विवरण के प्रकाश में इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट, 1956 एवं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के पालनार्थ एवं प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से फर्जी चिकित्सा व्यवसाय का उन्मूलन किये जाने हेतु बिन्दु कमांक 11 में उल्लेखित जिला स्तरीय कार्यवाही के उचित कियान्वयन हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।** सुलभ सन्दर्भ हेतु इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट, 1956 एवं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 के उपरोक्तानुसार वर्णित उपबंधों का टंकित विवरण इस परिपत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
(i) इण्डि. मेडि. कौं. एक्ट - छायाप्रति
(ii) म.प्र. आयु. 1987 एवं इंडियन मेडि. कौंसिल एक्ट 1956 की सम्बन्धित धाराओं की छायाप्रति संलग्न

25/3/06

(डॉ. राघवेन्द्र गुमाश्ता)
रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल:
भोपाल

कमांक एमपीएमसी/परिपत्र –4/06/1259–1278. भोपाल, दिनांक: 25 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि :–

1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2- आयुक्त (स्वास्थ्य), मध्य प्रदेश सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3- नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4- सचिव मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5- संचालक चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Est. U\s provisions of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Telephone:
2551568
2767786

F-7, SanchiComplex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462016

6- संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7- संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8- संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति, मध्य प्रदेश सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

9- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

10- समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11- रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश डेंटल कौंसिल, इन्दौर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12- रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13- रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश राज्य होमियोपैथी परिषद् भोपाल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14- रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् भोपाल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15- सचिव, इंण्डियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश ब्रांच कार्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Sd/-

(डॉ. राघवेन्द्र गुमाश्ता)
रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल:
भोपाल

मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल : भोपाल

(चिकित्सा व्यवसाय के सर्वेक्षण कार्य का प्रपत्र)

(नोट : कृपया निम्नानुसार वांछित जानकारी पठनीय व स्पष्ट अक्षरों में लिखी जावे)

1– चिकित्सा व्यवसायी का नाम ....

2– पिता का नाम ....

3– जन्म स्थान एवम् जन्म दिनांक ....

4– राष्ट्रीयता ....

5– धारित चिकित्सा अर्हता ....

6– धारित चिकित्सा अर्हता की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का मास व वर्ष । ....

7– विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम जहाँ से चिकित्सा अर्हता प्राप्त की गई । ....

8– चिकित्सा महाविद्यालय का नाम व स्थान ....
....

9– चिकित्सा पंजीयन क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक..

10– पंजीयन बोर्ड/परिषद् का नाम व स्थान ....

11– चिकित्सा व्यवसाय किये जाने की पद्धति व चिकित्सा व्यवसाय प्रारंभ करने का वर्ष । ....

12– चिकित्सा व्यवसाय करने का स्थान ....

13– चिकित्सा व्यवसायी का पूर्ण स्थायी पता..
....

14– दूरभाष एवं मोबाईल कमांक ....

स्थान :.....................

....

दिनांक: / /

(चिकित्सा व्यवसायी के पूर्ण हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश राजपत्र
असाधारण

(प्राधिकार से प्रकाशित)

कमांक: 235 भोपाल, मंगलवार दिनांक 24 जुलाई, 1990 – श्रावण 2, शके 1912

मध्यप्रदेश अधिनियम क0 11 सन् 1990
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम,1987

धारा – 21 :– इस अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम ,1956 की संख्या 102 में यथा – उपबंधित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध।	इस अधिनियम या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956(1956 का संख्या 102) में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा अथवा स्वयं को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: इस रूप में व्यपदेशित नहीं करेगा कि वह चिकित्सा व्यवसाय करता है।
धारा– 24 :– ''शस्ति ''	यदि कोई व्यक्ति , जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अंकित नहीं है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करेगा तो वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :– परन्तु – (एक) ऐसा व्यक्ति, जो बैचलर इन आयुर्वेदिक विथ मार्डन मेडिसिन एण्ड सर्जरी की उपाधि रखता हो और मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो, विषम चिकित्सीय औषधियाँ (एलोपैथिक मेडिसिन्स) विहित करने या शल्य चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये, इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा यदि उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करता है ; (दो) ऐसा चिकित्सा व्यवसायी, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 102) की धारा–27 के विशेषाधिकारों का हकदार हो, मध्यप्रदेश में उसका रजिस्ट्रीकरण न होने के कारण इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा ।

True Copy of relevant sections.
25/3/06
REGISTRAR
M.P. MEDICAL COUNCIL, BHOPAL

The Indian Medical Council Act, 1956
(Act No. 102 of 1956)

<u>Section -15</u> Right of persons possessing qualifications in the Schedules to be enrolled .	Section-15(2) :- Save as provided in section-25, no person other than a medical practitioner enrolled on a State Medical Register, – (a) shall hold office as physician or surgeon or any other office (by whatever designation called) in Government or in any institution maintained by a local or other authority; (b) shall practice medicine in any State; (c) shall be entitled to sign or authenticate a medical or fitness certificate or any other certificate required by any law to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner ; (d) shall be entitled to give evidence at any inquest or in any court of law as an expert under section 45 of the Indian Evidence Act, 1872 on any matter relating to medicine . Section-15(3) :- Any person who acts in contravention of any provision of sub - section (2) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

True Copy of relevant sections.
25/3/06
REGISTRAR
MEDICAL COUNCIL, BHOPAL

Section -27 Privileges of persons who are enrolled on the Indian Medical Register—	Subject to the condition and restrictions laid down in this Act regarding medical practice by persons possessing certain recognized medical qualifications, every person whose name is for the time being borne on the Indian Medical Register shall be entitled according to his qualifications to practise as a medical practitioner in any part of India and to recover in due course of law in respect of such practice any expenses, charges in respect of medicaments or other appliances, or any fees to which he may be entitled.

True copy of relevant section

25/3/06

REGISTRAR

M.P. MEDICAL COUNCIL, BHOPAL